राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.अपील संख्या–1750/2010/अलवर
2.अपील संख्या–1751/2010/अलवर
3.अपील संख्या–1752/2010/अलवर
4.अपील संख्या–1753/2010/अलवर
5.अपील संख्या–1754/2010/अलवर
6.अपील संख्या–1755/2010/अलवर

मैसर्स दीप स्पेशल स्टील्स लिमिटेड,
एम.आई.ए., अलवर। ..अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
वृत बी, अलवर। .....प्रत्यर्थी

7.अपील संख्या–312/2011/अलवर
8.अपील संख्या–313/2011/अलवर
9.अपील संख्या–314/2011/अलवर
10.अपील संख्या–315/2011/अलवर

सहायक आयुक्त,
वृत बी, अलवर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स दीप स्पेशल स्टील्स लिमिटेड,
एम.आई.ए. अलवर। ..प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मदनलाल मालवीय,सदस्य

उपस्थित : :
श्री विवेक सिंघल
अभिभाषक व्यवहारी की ओर से
श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक : 07.09.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त सभी दस अपीलों गें प्रथम छः अपीलें व्यवहारी फर्म द्वारा तथा द्वितीय चार अपीलें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बी, अलवर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा पृथक–पृथक पारित आदेशों के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत् पृथक–पृथक प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से असन्तुष्ट होकर व्यवहारी फर्म एवं राजस्व की ओर से उपर्युक्त सभी दस अपीलें प्रस्तुत की गई है।

2. इन सभी अपीलों में समान बिन्दु विवादित होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

लगातार.....2

3. प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलीय आदेश		कर निर्धारण आदेश						
		अपील संख्या	दिनांक	वर्ष	दिनांक	विवादित राशि	दिनांक	विवादित राशि	दिनांक	विवादित राशि
1.	1750/10	5/उपा/अपील्स/अलवर	21.06.10	90–91RST	19.05.94	6,96,026	29.04.02	8,69,738	18.03.10	9,52,691
2.	1751/10	6/उपा/अपील्स/अलवर	21.06.10	90–91CST	19.05.94	58,00,716	29.04.02	1,18,41,486	18.03.10	1,16,49,816
3.	1752/10	7/उपा/अपील्स/अलवर	21.06.10	91–92RST	15.05.95	3,26,195	–	–	18.03.10	7,42,790
4.	1753/10	8/उपा/अपील्स/अलवर	21.06.10	91–92CST	15.05.95	18,94,277	–	–	18.03.10	82,24,414
5.	1754/10	9/उपा/अपील्स/अलवर	21.06.10	92–93RST	24.09.96	1,48,992	–	–	18.03.10	3,52,390
6.	1755/10	10/उपा/अपील्स/अलवर	21.06.10	92–93CST	24.09.96	84,61,832	–	–	18.03.10	42,23,206
7.	312/11	5/उपा/अपील्स/अलवर	21.06.10	90–91RST	19.05.94	6,96,026	29.04.02	8,69,738	18.03.10	9,52,691
8.	313/11	6/उपा/अपील्स/अलवर	21.06.10	90–91CST	19.05.94	58,00,716	29.04.02	1,18,41,486	18.03.10	1,16,49,816
9.	314/11	8/उपा/अपील्स/अलवर	21.06.10	91–92CST	15.05.95	18,94,277	–	–	18.03.10	82,24,414
10.	315/11	10/उपा/अपील्स/अलवर	21.06.10	92–93CST	24.09.96	84,61,832	–	–	18.03.10	42,23,206

4. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी फर्म का मूल कर निर्धारण को किया जाकर मांग राशि का आरोपण कर दिया।

5. अपील संख्या 1750/10, 1751/10, 312/11 एवं 313/11 में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 19.05.94 से व्यथित होकर व्यवहारी फर्म द्वारा उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपने अपीलीय आदेश दिनांक 05.02.2002 द्वारा व्यवहारी फर्म द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करते हुए लेखापुस्तकों से सत्यापित किये जाने पर पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रस्तुत अपीलों को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दी।

6. इन अपीलों में उक्त आदेश दिनांक 29.04.2002 तथा अन्य अपीलों 1752/10, 1753/10, 1754/10, 1755/10, 314/11 एवं 315/11 में पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.05.1995 एवं 24.09.1996 से व्यथित होकर व्यवहारी फर्म द्वारा उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर, अलवर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रकरण पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिपेषित किया गया। उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर, अलवर द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 18.03.2010 को कर निर्धारण आदेश पारित किया गया, जिसमें व्यवहारी की नियमित लेखापुस्तकें जलकर नष्ट होने के कारण पेश नहीं की गई, बताते हुए सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर, मांग राशि का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 18.03.2010 से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा अपने अपीलाधीन

लगातार.....3

आदेश दिनांक 21.06.2010 से प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये उक्त अपीलीय आदेश से असन्तुष्ट होकर व्यवहारी व विभाग की ओर से उपर्युक्त अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

7. व्यवहारी फर्म के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी आयरन एण्ड स्टील के विनिर्माता है। उनके द्वारा उक्त अवधि के चारों त्रैमासिक बिक्री प्रपत्र पूर्व में ही कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये थे, बाद में दिनांक 25.09.1995 को व्यवहारी फर्म के प्रधान कार्यालय 320–21 इण्डस्ट्रीलय एरिया, लुधियाना में विद्युत शार्ट–सर्किट से आग लगने के कारण समस्त रेकॉर्ड मय आडिटेड बैलेन्सशीट, ट्रेडिंग अकाउण्ट एवं बिल जल गये थे, जिन्हें उनके द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष संबंधित पुलिस थाने की एफ.आई.आर. के साथ पेश किया गया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया।

8. उन्होंने बताया कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये कर मुक्त बिक्री को कर योग्य बिक्री मान लिया एवं घोषित बिक्री में 25 प्रतिशत वृद्धि किये जाने के संदर्भ में भी किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया गया। उन्होंने अपने कथन को जारी रखते हुए कहा कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना कारण बताओ नोटिस जारी किये अधिनियम की धारा 7एए व 16(1) के तहत् शास्ति का आरोपण कर दिया, जो कि अविधिक है।

9. व्यवसायी के विद्वान अभिभाषक ने उक्त कथन के आधार पर व्यवहारी फर्म द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण आदेश को अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

10. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी फर्म द्वारा करापवंचन की दृष्टि से कर निर्धारण आदेशों को पारित करते समय उपस्थिति नहीं दी। विद्युत शार्ट–सर्किट से आग लगने के कारण समस्त रेकॉर्ड (बहियात व बिल) का जल जाना एवं संबंधित पुलिस थाने की एफ.आई.आर. व्यवहारी फर्म की बाद की सोच थी, जिसे व्यवहारी फर्म द्वारा करापवंचन की दृष्टि से अंजाम दिया गया। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर विभाग की ओर से प्रस्तुत अपीलें स्वीकार कर अपीलार्थी की अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

11. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। व्यवहारी आयरन एण्ड स्टील निर्माता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी का कर निर्धारण करते हुए मांग राशियां आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध व्यवसायी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय,

लगातार.....4

जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने व्यवसायी की अपील को प्रतिप्रेषित कर पुनः आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश की पालना में सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर मांग राशियां कायम की गई। व्यवसायी की ओर से फर्म की नियमित लेखा पुस्तके जलकर नष्ट होने के कारण पेश नहीं की गई अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्व में पारित आदेश को आधार मानते हुए सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर घोषित बिक्री में पूर्वानुसार 25 प्रतिशत वृद्धि कायम रखते हुए कुल बिक्री निर्धारित कर मांग राशियां कायम की गई।

12. व्यवहारी फर्म द्वारा कर निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कर मुक्त बिक्री से संबंधित कोई प्रमाण पत्र एवं लेखा पुस्तकें प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर शाखा स्थानान्तरण व आडतियों के मार्फत बिक्री के संबंध में जो "एफ" फार्म प्रस्तुत नहीं किया है, उसे अन्तर्राज्यीय बिक्री माना है, क्योंकि शाखा स्थानान्तरण में "एफ" फार्म का होना आवश्यक है।

13. व्यवहारी फर्म द्वारा राज्य के अन्दर से रियायती दर पर या पूर्ण दर से कर चुका कर खरीद किये गये कच्चे माल की खरीद पर कोई विवरण/साक्ष्य पेश नहीं किये एवं विनिर्मित माल का राज्य के बाहर स्थानान्तरण होना निर्धारित करते हुए अधिनियम की धारा 5(सी)(2) के तहत घोषणा पत्रों का दुरूपयोग किया है। इस प्रकार व्यवहारी फर्म द्वारा करापवंचन करते हुए अन्तर्राज्यीय बिक्री की है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति पूर्णतया उचित होने के कारण उसे यथावत रखी जाती है एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किया जाता है। इस बिन्दु पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जाती है।

14. व्यवहारी द्वारा उक्त अवधियों के त्रैमासिक बिक्री प्रपत्र विलम्ब से पेश किये गये, जिन्हें समय पर पेश किया जाना आवश्यक था, अतः बिक्री प्रपत्र विलम्ब से पेश किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी पर जो शास्ति का आरोपण किया है, वह उचित प्रतीत होने से यथावत् रखा जाता है।

15. राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 की धारा 75 में प्रत्येक व्यवसायी द्वारा उसके व्यवसाय से संबंधित बहीखाते (Book of Accounts) रखना आवश्यक है, इसके साथ ही नियम 36 से 40 तक बहीयात रखने के नियम दिये गये है। हस्तगत प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने बहियात के अभाव में व्यवसायी के घोषित टर्नओवर में 25 प्रतिशत वृद्धि की है, जिसका आधार व्यवसायी द्वारा घोषित बिक्री है। इस प्रकार से व्यवसायी के घोषित टर्नओवर का नियमित बहियात से सत्यापन के अभाव में कर निर्धारण अधिकारी ने टर्नओवर में 25 प्रतिशत की वृद्धि की है, जो उचित प्रतीत होती

लगातार.....5

है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक निर्णय (1992) 11 RTJS 304 Ram Bagh Place Hotel vs C.T.O. (Raj. HC) में निम्न प्रकार टिप्पणी की है–

> "Failure of the assessee to produce documents called for by the AA.- When an opportunity is given by the AA to the assessee to produce documents for determining the nature of sales/purchases effected by the assessee, and the assessee fails to produce the same, the AA would by justified to draw an adverse inference against the assessee."

16. उपरोक्त समस्त विवेचन से स्पष्ट है कि कर बोर्ड के समक्ष व्यवसायी द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य (Material Evidence) प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके कारण कर निर्धारण अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। अपीलीय अधिकारी ने कर योग्य बिक्री में की गई 25 प्रतिशत वृद्धि को यथावत रखा है, जिसकी कर बोर्ड द्वारा पुष्टि की जाती है, परन्तु अपीलीय अधिकारी ने ब्रांच ट्रांसफर की बिक्री पर आरोपित कर व ब्याज को अपास्त किया है, इस ब्रांच ट्रांसफर की बिक्री पर आरोपित कर व ब्याज को अपास्त करने से पूर्व कोई युक्ति–युक्त कारण नहीं दर्शाया है। अतः यह तर्कसंगत एवं विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपीलीय आदेश को निरस्त किया जाता है, तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को पुनर्स्थापित (Restore) किया जाता है।

17. फलतः व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत समस्त छः अपीलें अस्वीकार की जाती है, तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत समस्त चार अपीलें स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष